



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092022-238943
CG-DL-E-20092022-238943

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4192]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944

No. 4192]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

का.आ. 4376(अ)—राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, 2019 (2019 का 30) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 10.10.2019 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 3659(अ) में, पैराग्राफ (3) के तहत तालिका में, उल्लिखित क्रम संख्या के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

क्र. सं.	राज्य का नाम	नामित सदस्य का विवरण
(1)	(2)	(3)
2	अरुणाचल प्रदेश	प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, कुलपति, राजीव गाँधी विश्वविद्यालय
3	असम	श्रीमती कृष्णा गोहैन, आईएएस (सेवानिवृत्त), कुलपति, श्रीमान्ता संकरदेवा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
12	कर्नाटक	डॉ. एम. के. रमेश, कुलपति, राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

(2) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, 2019 (2019 का 30) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 10.10.2019 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 3659(अ) में पैराग्राफ (5) के तहत तालिका में, उल्लिखित क्रम संख्या के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

क्र. सं.	राज्य चिकित्सा परिषद का नाम	नामित सदस्य का विवरण
(1)	(2)	(3)
10	कर्नाटक चिकित्सा परिषद	डॉ. कांची प्रल्हाद वी.
11	केरला राज्य चिकित्सा परिषद	डॉ. हरीकुमारन नायर जी. एस.
14	मणिपुर चिकित्सा परिषद	डॉ. ए. जॉय सिंह
22	उत्तराखंड चिकित्सा परिषद	डॉ. नरेश सिंह नपल्च्यल

[फा. सं. वी. 11013/01/2019-एमईपी (पार्ट-I)]

वी. हेकाली झिमोमी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2022

S.O. 4376(E).—In pursuance of provisions under clause (c) of sub-section (2) of Section 11 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), in the notification of the Government of India, the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3659(E) dated 10th October, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), under paragraph (3), in the table, the following entries against mentioned serial numbers shall be substituted:

Serial Number	Name of the State	Details of the nominated Member
(1)	(2)	(3)
2	Arunachal Pradesh	Prof. Saket Kushwaha, Vice Chancellor, Rajiv Gandhi University
3	Assam	Smt. Krishna Gohain, IAS (Retd.), Vice Chancellor, Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences
12	Karnataka	Dr. M. K. Ramesh, Vice Chancellor, Rajiv Gandhi University of Health Sciences

(2) In pursuance of provisions under clause (e) of sub-section (2) of Section 11 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), in the notification of the Government of India, the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3659(E) dated 10th October, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), under paragraph (5), in the table, the following entries against mentioned serial numbers shall be substituted:

Serial Number	Name of the State Medical Council	Details of the nominated Member
(1)	(2)	(3)
10	Karnataka Medical Council	Dr. Kanchi Pralhad V.
11	Kerala State Medical Council	Dr. Harikumar Nair G. S.
14	Manipur Medical Council	Dr. A. Joy Singh
22	Uttarakhand Medical Council	Dr. Naresh Singh Napalchyal

[F. No. V.11013/01/2019-MEP(Pt.I)]

V. HEKALI ZHIMOMI, Jt. Secy.